न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/12/2019	29–03–2019	01–08–2019

1– सुमेर सिंह पुत्र जुगला राम उर्फ जुगल किशोर जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1– रामरती पुत्री जयनारायण पत्नी सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सिहाली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

2– सोभाग्यवती उर्फ भगवती पुत्री जयनारायण पत्नी वीरसिंह जाति अहीर निवासी रालियावा तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

3– कौशल्या उर्फ कोली पुत्री जयनारायण पत्नी राजबीर जाति अहीर निवासी रालियावा तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

4– कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

5– बख्तावरी देवी पत्नी प्रहलाद जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

6– फूलाबाई पुत्री प्रहलाद पत्नी बनवारीलाल जाति अहीर निवासी खेड़ा (खानपुर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

7– रामकलां पुत्र प्रहलाद पत्नी धर्मवीर जाति अहीर निवासी रालियावा तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

8– सावित्री पत्नी रामजीलाल जाति खाती

9– अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल जाति खाती

10– सुग्रीव सिंह पुत्र रामजीलाल जाति खाती

11– माया पुत्री रामजीलाल जाति खाती

12– शर्मिला पुत्री रामजीलाल जाति खाती

13– कमलेश पत्नी कमलसिह जाति खाती

14– हर्षित पुत्र कमल सिंह जाति खाती

15– गुंजन पुत्री कमल सिह जाति खाती

16– रामप्रताप पुत्र भाना जाति अहीर

17– धोलाराम पुत्र रामसिंह जाति अहीर

18– किरोस्ता पुत्री रामसिंह जाति अहीर

19– कान्ता पुत्री रामसिंह जाति अहीर

20– रामकलां पत्नी रामसिंह जाति अहीर

21– ओमप्रकाश पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर

22– राजकुमार पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर–राज0।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमावत —वकील प्रार्थी
02. श्री दिनेश कुमाद यादव —वकील अप्रार्थी सं. 1
03. श्री रामचन्द्र बलाई —वकील अप्रार्थी सं. 4

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी सुमेरसिंह बनाम रामरती को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुकदमा बउनवान सुमेरसिंह बनाम रामरती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। दावे में प्रतिवादीगण की तामील होना बाकी है। प्रतिवादी रामरती की ओर से दिनांक 28.03.2019 को प्रा0पत्र पेश कर उक्त मुकदमें को खारिज करने का निवेदन किया गया। दिनांक 28.03.19 को प्रार्थी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा रामरती की ओर से पेश प्रा0पत्र का जवाब पेश करने का अवसर चाहा। पीठासीन अधिकारी महोदय से भी निवेदन किया गया कि उक्त मुकदमें में अभी प्रतिवादीगण की तामील होना बाकी है। इसलिए रामरती द्वारा पेश प्रा0पत्र का निस्तारण सभी प्रतिवादीगण की तामील होने के बाद किया जाना न्यायसंगत होगा। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहां कि रामरती द्वारा पेश प्रा0पत्र का निस्तारण पहले करूंगा तथा यह भी कहां कि रामरती ने जो प्रा0पत्र पेश किया है उसके आधार पर वादी का दावा खारिज होगा। पीठासीन अधिकारी ने मुकदमें में दिनांक 28.03.19 के बाद बडी मुश्किल से आगामी पेशी 02.04.19 नियत की साथ में यह भी कहां कि दिनांक 02.04.19 को वादी का दावा खारिज कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय प्रार्थी का दावा खारिज करेंगे। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बउनवान सुमेरसिह बनाम रामरती को किसी दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरणों में विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा तमाम तथ्य मनगढंत तथा मिथ्या दर्ज किये है। प्रार्थी का प्रा.पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि वाद में तामील होना—

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

शेष है। प्रकरण में तलबी हेतु दिनांक 28.03.19, 02.04.19, 15.04.19 व वर्तमान में दिनांक 13.05.19 नियत है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं मनगढंत है। फिर भी यदि न्यायालय उक्त विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं. 1 व 4 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा बउनवान सुमेरसिह बनाम रामरती को अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण उनवान सुमेरसिंह बनाम रामरती को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)